

20

# बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

## आदेश

का0आ0 संख्या:- 3/अ0प्र0-1-261/08 90 /पटना, दिनांक :- 27.12.14

श्री राम जनक सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 10,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग के आदेश सं0 10042 दिनांक 23.10.07 द्वारा दिनांक 05.04.2007 के प्रभाव से निलंबित किया गया। हिरासत से रिहा होने के पश्चात् उन्हें बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम (9) (1) (क) एवं (ग) के तहत पुनः निलंबित किया गया।

2. श्री सिंह के विरुद्ध विधायक फंड से ग्राम बक्सर के ग्राम बन्दगा शेखपुरा के जेतिया तथा प्रेमा में ईट सोलिंग का कार्य तथा राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण योजना मद से ग्राम झिकटिया में चईका से पंचायत भवन तक वेलगी सड़क का निर्माण कार्य में अनियमितता एवं रिश्वत लेने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश सं0 272 दिनांक 30.09.2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत श्री राम प्रवेश कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक), ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने के पूर्व संचालन पदाधिकारी के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप श्री चन्द्रशेखर साहू, अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री सिंह के निलंबन की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (9)(7), 3, (1) के तहत विभागीय कार्यालय आदेश सं0 227 दिनांक 18.08.210 द्वारा श्री सिंह को निलंबन से मुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे असहमत होते हुए विभागीय असहमति के बिन्दु पर श्री सिंह से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस बीच श्री सिंह के दिनांक 31.10.2013 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाया गया। नदालोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0 28 सहपठित ज्ञापांक 1104 दिनांक 09.04.14 द्वारा श्री राम जनक सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता का पेंशन का शून्य पर निर्धारण का दंड संसूचित किया गया। उक्त संसूचित दंड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विचार अपील समर्पित किया गया। श्री सिंह के उस पुनर्विचार अपील को समीक्षोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 27 सह-पठित ज्ञापांक 1832 दिनांक 26.05.15 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

4

6. संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा मोननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 11156/2014 दायर किया गया गया। CWJC No. 11156/2014 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत कार्यालय आदेश सं० 27 सह-पठित ज्ञापांक 1832 दिनांक 25.05.15 के विरुद्ध IA No. 905/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 26.06.18 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

15. In view of the findings arrived at herein above on the basis of the records of the proceedings in the instant case, the irresistible conclusion is that the order dated 09.04.2014 passed by the Special Secretary Rural Works Department purporting to withhold the pension of the petitioner is crossly illegal and arrived at in violation of the Principles of Natural Justice and is unsustainable in the eye of law. The order of punishment therefore, has to be quashed.

16. During pendency of the case the petitioner's appeal filed against the order of punishment has been rejected by order dated 26.05.2015 by the Secretary Rural Works Department. As a result of quashing of the order of punishment dated 09.04.14, the order dated 26.05.15 passed in the appeal which is also impugned in the instant writ petition by filing I.A. No. 8905 of 217, is also quashed.

17. As a result of quashing of the impugned order the petitioner will be entitled to restoration of his pensionary benefits and all other consequential benefits available in law.

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का यह मतव्य प्राप्त हुआ कि न्यायादेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर करने का कोई आधार नहीं है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में CWJC No. 11156/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.18 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री राम जनक सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश कार्यालय आदेश सं० 28 सहपठित ज्ञापांक 1104 दिनांक 09.04.14 को निरस्त किया जाता है तथा श्री राम जनक सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता को अनुमान्य पेंशानादि नियमानुसार स्वीकृत करने का आदेश दिया जाता है।



(प्रवीण कुमार ठाकुर)

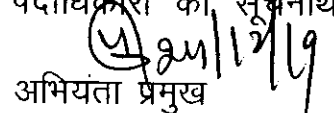
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-261/08

3732

/पटना, दिनांक :- 27/2/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

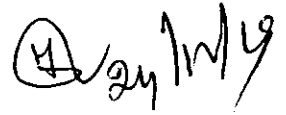
  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-261/08

3732

/पटना, दिनांक :- 27.12.14

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी-4, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री राम जनक सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त स्थाई पता- ग्राम महादेवबिगहा, पो0-दोर्डा, थाना-रामपुर चौरम, जिला-अरवल-804412 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



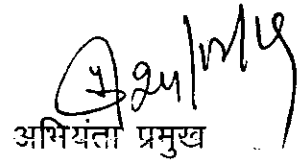
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-261/08

3732

/पटना, दिनांक :- 27.12.14

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख